अपील

साथियों,

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं के सम्मुख एक ऐसी भाषा की आवश्यकता का प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिसे स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जा सके और जो विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि 'हिंदी' मात्र एक ऐसी भाषा है जिसने समयानुसार विभिन्न क्षेत्रीय, प्रांतीय बोलियों तथा विदेशी भाषा के शब्दों को अपने में समाहित किया है तथा यह भाषा जनसंख्या के एक विस्तृत भाग की संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है। तदुपरांत, भारतीय संविधान में 14 सितम्बर, 1949 को 'हिंदी' भाषा एवं उसकी लिपि 'देवनागरी' को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता रहा है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा बनने के पश्चात 'हिंदी' भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में संवैधानिक रूप से बढ़ा है।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग को सरकारी कार्यालयों व अधीनस्थ विभागों के अंतर्गत 'हिंदी' के प्रयोग को विकसित करने 'राजभाषा अधिनियम, 1963' और 'राजभाषा नियम, 1976' में निहित विभिन्न प्रावधानों तथा 'राष्ट्रपति जी के आदेशों' की अनुपालना को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। राजभाषा विभाग द्वारा 'हिंदी' के उत्तरोतर विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 'वार्षिक कार्यक्रम' जारी किया जाता है जिसमें क्रमवार हिंदी प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील राष्ट्रों ने अपनी-अपनी भाषाओं में सरकारी कामकाज करके स्वयं को समृद्ध और उन्नत बनाया है। 'हिंदी दिवस' के शुभ अवसर पर मैं, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के सभी कर्मचारियों से यह आह्वान करूंगा कि वह अपने राष्ट्रीय सम्मान व संगठन के गौरव को बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से राजभाषा कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लें तथा कार्यालय के कामकाज में, विशेषतया टिप्पण व पत्राचार में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए राजभाषा 'हिंदी' के विकास में सहभागी बनें।

आईए, 'हिंदी दिवस' के अवसर पर हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि कार्यालय कामकाज में 'हिंदी' का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए हम अपने संवैधानिक एवं नैतिक दायित्वों का पालन करें।

वीरेन्द्र नाथ दत्त

(वीरेन्द्र नाथ दत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 14 सितम्बर, 2020